महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 5 सितम्बर, 2005

सं. टीएएमपी/39/2005-विविध.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने की तिथि को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/39/2005-विविध

मुंबई पत्तन न्यास **आवेदक**

आदेश

(अगस्त, 2005 के 30वें दिन पारित)

यह प्रकरण प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा हेतु व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने हेतु मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने 25 अप्रैल, 2005 को एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा उसने अन्य बातों के साथ मुंबई पत्तन न्यास को निदेश दिया था कि वह प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव 15 अगस्त, 2005 तक दाखिल कर दे, ऐसा न कर पाने पर समुचित कार्रवाई आरम्भ करेगा।

3. अब, एमबीपीटी ने व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु समय सीमा 15 सितम्बर, 2005 तक बढ़ाने का इस आधार पर अनुरोध किया है कि 26 जुलाई, 2005 को मुंबई में हुई भारी बारिश और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक यातायात में आई रुकावट के कारण व्यापक-दर-संशोधन से संबंधित कार्य की प्रगति में रुकावट डाल दी है।

4. प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने हेतु एमबीपीटी को 15 सितम्बर, 2005 तक समय प्रदान किया जाता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/2005/असा.]